

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक:सा0- 794 / मी0क्षे0 / 33/ दिनांक, मीरजापुर, अगस्त, 21, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय- जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तान्तरित 38.2591 हे0 आरक्षित वन भूमि के पट्टे का 25 वर्षों के लिए नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ- 1 भारत सरकार का आदेश सं0 8-10/94 एफसी दिनांक 14.10.1996
2 उ0प्र0सरकार का आदेश सं06619/14-2-97-145(233)/94 दिनांक 22.05.1998
3 प्रभागीय वनाधिकारी रेनूकूट वन प्रभाग रेनूकूट का पत्रांक 348/रेनूकूट/15-30 दिनांक 21.07.2018

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी रेनूकूट वन प्रभाग रेनूकूट ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग अर्न्तगत 38.2591 हे0 वन भूमि 25 वर्षों के लिए लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी जिराकी लीज अवधि दिनांक 08.02.2016 को समाप्त हो चुकी है। उक्त लीज को पुनः आगामी 25 वर्षों हेतु (दिनांक 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव जिसकी ऑन लाइन सबमिशन संख्या FP/UP/TRANS/18048/2016 है, उक्त प्रस्ताव की 4 प्रतियों में मय सी0डी0 सस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव की इस स्तर से भाग-3 पूर्ण कर 3 प्रतियों में एतदसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ज्ञातव्य है कि शासन के संदर्भित आदेश दिनांक 22.05.1998 के शर्त संख्या-12 पर पट्टा विलेख का आलेख आपके कार्यालय के पत्रांक-144/11-सी दिनांक 21.07.2010 द्वारा शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(डा0प्रभाकर दूबे)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रेनूकूट वन प्रभाग रेनूकूट को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0प्रभाकर दूबे)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

भाग - 3

132 केपीएन विनियम परीक्षण आदेश 38/2571 के तहत निरीक्षण के लक्ष्यों में
(वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

14	स्थल जहाँ वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत है।
16	प्रस्ताव के रवीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	सम्बन्धित वन संरक्षक की जानकारी के आधार पर संतुष्टि दी जाती है।

तिथि : 21.08.2018

स्थान : श्रीरामपुर


मुख्य वन संरक्षक
श्रीरामपुर क्षेत्र
श्रीरामपुर

हस्ताक्षर